सं.12/1/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के द्वीपों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाना।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह विनिश्चय करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के द्वीपों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:-

स्थान जहां तैनात हैं	दर प्रतिमाह (रुपए)
(i) राजधानी नगर की नगरपालिका सीमाओं के 8 कि.मी. की दूरी के अंदर क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लयेर, लक्षद्वीप में कावारात्ती और अगत्ती)	मूल वेतन का 10%
(ii) दुर्गम क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उत्तरी एंव मध्य अंडमान, पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर दक्षिणी अंडमान, लक्षद्वीप में कावारात्ती, अगत्ती और मिनिकॉय को छोडकर सभी द्वीपसमूह)	मूल वेतन का 16%
(iii) अपेक्षाकृत अधिक दुर्गम क्षेत्र (लिटिल अंडमान, निकोबार द्वीपसमूह, नारकोण्डम द्वीपसमूह, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के पूर्वी द्वीप, लक्षद्वीप में मिनिकॉय)	मूल वेतन का 20%

2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

3. छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरे आदि की पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) से अधिक की अवधि के दौरान द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा यदि कर्मचारी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के द्वीपों से बाहर हो। यह भत्ता निलंबन एवं कार्यभार ग्रहण के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा।

4. द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता जहां स्वीकार्य हो, के साथ स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानों के संबंध में जहां एक से अधिक विशेष प्रतिकर भत्ते स्वीकार्य हैं, ऐसे स्टेशनों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पास उस भत्ते का चयन करने का विकल्प होगा जिससे उन्हें सर्वाधिक लाभ हो, उदाहरण के लिए कठिन क्षेत्र भत्ता अथवा दुर्गम स्थल भत्ता श्रेणी-I, II और III में मिला दिए गए विशेष प्रतिकर भत्तों में से कोई एक भत्ता।

5. ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।

6. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:

(i) **नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।**
(ii) **मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा प्रशासक, लक्षद्वीप।**